न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 32/2019

उनवान

1. गैन्दालाल पुत्र घीसालाल, उम्र 80 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
2. श्रवण कुमार पुत्र प्रभातीलाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. बिहारीलाल पुत्र अर्जुनसलाल, जाति पुरोहित,
4. मदनलाल पुत्र अर्जुनलाल, जाति पुरोहित,
5. मूलीदेवी पुत्री अर्जुनलाल, जाति पुरोहित,
6. बंशीधर पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर
7. बालूराम पुत्र प्रभातीलाल, जाति अहीर,
8. बिहारीलाल पुत्र अर्जुनलाल जाति अहीर,
9. भैरूराम पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक—08.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम अणतपुरा मलिकपुर, पटवार हल्का मलिकपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 56 में वर्णित ख0 नं0 ख0नं0 1478/1 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 1505/2 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 1969/2 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1970/1 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 1970/2106 रकबा 0.01 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर संपूर्ण ही प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1478 के पश्चिमी सीमा पर अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि ख0नं0 1476 स्थित है, जिसमें प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1478/1 की पश्चिमी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है एवं खसरा नंबर 1912 पर अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर रखा है। अप्रार्थी सं0 2 ता 9 आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सींव जोड में कांट छांट करते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने के लिए सींव डोल को तोड़ फोड़ करते रहते हैं तथा आवारा पशुओं को प्रवेश करवाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में उगी हुई फसल को नुकसान कारित करते हैं। प्रार्थी की उपरोक्त विवादित आराजीयात भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2019 को श्रीमान् तहसीलदार साहब चौमूं के आदेश क्रमांक/एल. आर/सीमाज्ञान/2019/08 दिनांक 27.05.2019 की पालना में पटवारी हल्का मलिकपुर मय राजस्व रिकॉर्ड के ग्राम मलिकपुर के मौके पर पुख्ता निशान गै0मु0 चाह खसरा नंबर 1477 एवं ख0 नं0 1910 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर सीमाज्ञान कर निशान कायम किये गये। जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0 नं0 1478/01 की पश्चिमी सीमा दबी हुई पाई गई एवं ख0 नं0 1992 की सीमा पडौसियों द्वारा दबी हुई मिली। मौके पर अन्य पडौसी कृषक व अन्य मोतबिरान उपस्थित मिले। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अंत में प्रार्थी द्वारा अपनी विवादित भूमि आराजीयात खं0 नं0 1478/1 रकबा 0.51 है0 किस्म चाही–2, ख0नं0 912 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी–3 भूमि की पत्थरगढी हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को

Scanned with CamScanner

अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2019 को तहसीलदार चौमू के आदेश क्रमांक/एल.आर/सीमाज्ञान/2019/08 दिनांक 27.06.2019 की पालना मे पटवारी हल्का मलिकपुर द्वारा किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थपत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थपत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2019 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 16:34:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: